

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/आर-54/2024- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2024

डा० रविन्द्र मोहन, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, सहरसा का प्रभार रहित अवधि दिनांक-20.07.009 से 04.08.2009 तक को पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में विनियमित किया जाता है।

2. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/आर-54/2024- 411(2) पटना, दिनांक 12/03/2024

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एव ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सहरसा/अधीक्षक, सदर अस्पताल, सहरसा/कोषागार पदाधिकारी, सहरसा/डा० रविन्द्र मोहन, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, सहरसा /प्रशाखा-3, 9, 18A को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।